शहर में फैला ठगी का जाल, 16 लोगों को लगाई 52 लाख से ज्यादा की चपत

- मोबाइल हैक, फर्जी निवेश और झांसा देकर की वारदातें
- पुलिस सतर्क रहने की दे रही सलाह

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में सायबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. मार्च अप्रैल के बीच शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में डिजिटल अरेस्ट, मोबाइल अपडेट और फर्जी निवेश के नाम पर दर्जनभर से ज्यादा लोगों से लाखों रुपए ठग लिए. पुलिस ने सभी मामलों में आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है,

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सबसे बड़े मामले में सदर बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग को फोन कर डराया कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में है, गिरफ्तारी से बचने के नाम पर पांच लाख रुपए ऐंठ लिए. एरोड्रम क्षेत्र के ओमविहार कॉलोनी में रहने वाले 67 वर्षीय अशोक कुमार गुप्ता के साथ डॉक्टर लिसा डेविस नामक अज्ञात ठग ने इंटरनेशनल कोरियर ड्यूटी के झांसे में 10 लाख 42 हजार 449 रुपए हड़प लिए. व्यंकटेश विहार कॉलोनी में रहने वाले रवि

कुमार प्रजापत का मोबाइल हैक कर उनके बैंक खाते से 2 लाख 47 हजार रुपए पार कर लिए गए.

वहीं, केशरबाग रोड पर रहने वाले कपिल पटेल ने मोबाइल अपडेट पर क्लिक किया तो उनके खाते से 3 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए. व्हाट्सएप निवेश ग्रुप और फर्जी वेबसाइट के जरिए भी कई वारदात हुई. हुकुमाखेड़ी में रहने वाले आनंद सागर को 94 हजार रुपए का नुकसान हुआ. बिजलपुर में रहने वाले अमित व्यास से 4 लाख 07 हजार 979 रुपए हड़प लिए. मीना जोशी ने फर्जी इन्वेस्टमेंट के नाम पर 94 हजार रुपए झटक लिए. क्रिप्टो वॉलेट और ट्रेडिंग ऐप के जरिए भी ठगी हुई.

श्रीनगर एक्सटेंशन के तरुण भाट के 2014 डॉलर और प्लैटिनम पैराडाइज के सुनील परमार के 2 लाख 94 रुपए ठगों ने पार कर दिए. मोबाइल हैकिंग के जरिए अंकुर आंगन कॉलोनी के संदीप कुमार गुप्ता से 1 लाख 97 हजार रुपए और बाराभाई में रहने वाले धर्मेंद्र भाट के खाते से 2 लाख 87 हजार 993 रुपए निकाल लिए. क्रिश्चियन कॉलेज कंपाउंड के सैय्यद अली को डरा-धमकाकर दो लाख रुपए हड़प लिए. पुलिस ने बताया कि सभी वारदातों में कॉल रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है और शहर में सायबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

निवेश, ट्रेडिंग और अधिक इंकम के लालच से जुड़े हैं ज्यादातर मामले

एडीसीपी के मुताबिक विभिन्न जांचों में सामने आया कि ठगी के ज्यादातर मामले निवेश, ट्रेडिंग और कार्य आधारित लालच से जुड़े थे. इसके अलावा बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट, रिवॉर्ड और क्रेडिट सीमा बढ़ाने के नाम पर भी लोगों को ठगा गया है. कई मामलों में आरोपियों ने परिचित बनकर भावनात्मक तरीके से भी रकम ऐंठी. क्राइम ब्रांच ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों को साइबर ठगी से बचने के उपाय बताए गए, आपके माध्यम से पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक पर भरोसा न करें और सतर्क रहकर ही ऑनलाइन लेनदेन करें.

हजारों खाते किए फ्रीज, पीड़ितों को लौटाए 1.87 करोड़...

एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि वर्ष 2026 में क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी के मामलों में कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को 1 करोड़ 87 लाख 47 हजार 605 रुपए वापस दिलाए हैं. मार्च माह में ही करीब 2600 शिकायतें सामने आईं, जिनमें कई पर तुरंत कार्रवाई की गई.जांच टीमों ने ऑनलाइन ठगी के मामलों में कार्रवाई करते हुए हजारों फर्जी बैंक खातों को फ्रीज किया है. इसके साथ ही 180 से अधिक हैक हुए सोशल मीडिया खाते फिर से चालू कराए गए, जबकि 200 से ज्यादा फर्जी प्रोफाइल, जो लोगों के नाम और फोटो से बनाए गए थे, उन्हें बंद कराया. माहवार आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी में 36 लाख 46 हजार 49 रुपए, फरवरी में 91 लाख 95 हजार 726 रुपए और मार्च में 59 लाख 5 हजार 830 रुपये पीड़ितों को वापस कराए.

हाईवे पर हुई लूट का खुलासा, दो शातिर बदमाशों को दबोचा

इंदौर. गत 30 मार्च की मध्य रात्रि किशनगंज थाना क्षेत्र में राजपूत ढाबा, ग्राम पिगडम्बर पर फोर्चुनर कार से आए रोहन और उनके साथियों से दो शातिर अपराधियों ने सोने की चेन और नकदी लूट ली थी. किशनगंज पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष एसआईटी का गठन किया और आरोपियों को अजमेर रेलवे स्टेशन से पकड़कर इंदौर ले आए.

एसपी ग्रामीण यांगचेन भूटिया ने बताया कि रात करीब 3 से 3.30 बजे के बीच रोहन अपने दोस्तों के साथ रेडिसन होटल इंदौर की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी कार का टायर पंचर हो गया. तभी एक बिना नंबर की सफेद स्विफ्ट डिजायर कार आई और उसमें से उतरे दो आरोपियों ने लोहे की रॉड से धमकाकर

रोहन के गले में पहनी सोने की चेन और नकदी लूट ली. फरियादी ने पीछा किया, लेकिन आरोपी तेज रफ्तार से फरार हो गए. पुलिस ने तुरंत एसआईटी का गठन कर सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी डेटा और मुखबिर तंत्र का उपयोग कर आरोपियों की तलाश शुरू की.

मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम अजमेर रवाना हुई और रेलवे स्टेशन के बाहर दोनों आरोपियों को पकड़ कर किशनगंज थाने लाया गया. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया. गिरफ्तार आरोपियों में रितेश राठौड़ 30 साल, निवासी 47 पालदा, तेजाजी चौक, थाना भंवरकुआ, इंदौर और प्रभु सिंह भाटी 26 साल, ग्राम विदासर, जिला चुरु राजस्थान, हाल मुकाम 254/4 नेहरू नगर, थाना एमआईजी, इंदौर शामिल हैं. पुलिस जांच में सामने आया कि रितेश राठौड़ पर मारपीट, हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट के तहत 16 अपराध दर्ज हैं, जबकि प्रभु सिंह भाटी के खिलाफ वाहन चोरी के 10 मामले दर्ज हैं.

कार, चेन, नकदी, मोबाइल सहित 31 लाख 68 हजार रुपए की जप्ती

इस कार्रवाई में पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बिना नंबर की सफेद स्विफ्ट डिजायर कार, लोहे की रॉड, लगभग 100 ग्राम की सोने की चेन, नकदी 5 लाख 76 हजार रुपए और पांच मोबाइल फोन जप्त किए. कुल जप्ती की राशि लगभग 31 लाख 68 हजार रुपए है. किशनगंज पुलिस की इस कार्रवाई में निरीक्षक अमित कुमार, निरीक्षक कुलदीप खत्री, निरीक्षक महेन्द्र मकाश्रे सहित अन्य अधिकारियों की सराहनीय भूमिका रही. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी पहले से ही गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं.

करोड़ों के लोन घोटाले में सोनी इस्पात का डायरेक्टर गिरफ्तार

- फर्जी दस्तावेजों के सहारे 12.87 करोड़ का लोन लेने का आरोप
- सीबीआई ने इंदौर से किया गिरफ्तार, दो अन्य आरोपियों की तलाश

नव भारत न्यूज

इंदौर. करोड़ों के बैंक लोन घोटाले में सीबीआई ने सोनी इस्पात के डायरेक्टर राजीव लोचन सोनी को उनके बंगले से गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उन्होंने 2006 से 2011 के बीच फर्जी दस्तावेजों के सहारे बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट और लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधाएं लीं और रकम का इस्तेमाल अन्य कामों में किया. सीबीआई टीम दो दिन से इंदौर में छापेमारी कर रही थी. मामले की शुरुआत 2022 में हुई थी, जब बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया.

सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के साथ ही जांच शुरू कर दी गई है. इस घोटाले में शामिल अन्य दो आरोपियों की तलाश जारी है. घोटाले की राशि 12 करोड़ 87 लाख रुपये बताई जा रही है, जो बैंक लोन के माध्यम से फर्जी तरीके से हासिल की गई थी, मामले में पुलिस जांच कर रही है.

एक नजर में

सानंद मिलन का रंगारंग आयोजन

इंदौर. श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस (एसवीआईएमएस) ने नखराली ढाणी में सानंद मिलन का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों ने रोजमर्रा की व्यस्तताओं को भूलकर हंसी, मस्ती और अपनापन भरे पल बिताए. इस कार्यक्रम में डांस, मजेदार राइड्स, झूले, कठपुतली और मैजिक शो जैसी गतिविधियां शामिल थीं, जिन्होंने हर चेहरे पर मुस्कान और दिलों में खुशियां भर दीं. फोटो और सेल्फी सेशन ने इन पलों को और भी यादगार बना दिया. आयोजन ने पद और प्रतिष्ठा के भेद मिटाकर सभी को एक परिवार की तरह जोड़ दिया. निदेशक डॉ. जॉर्ज थॉमस ने कहा कि ऐसे रिक्रिएशनल पल टीम को मजबूत बनाने और संस्थान में अपनापन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं. इस स्नेहिल मिलन की मधुर यादें लंबे समय तक सभी के मन में बनी रहेंगी.

शातिर बदमाश राहुल उर्फ झटका को किया तड़ीपार

इंदौर. आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक बदमाश को पुलिस ने छह माह के लिए जिलाबदर कर दिया है. आरोपी के इंदौर शहर व देहात सहित आसपास के कई जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है. चंदन नगर थाना प्रभारी तिलक करोले ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के आदेश के पालन में पंचमूर्ति नगर में रहने वाले 32 वर्षीय राहुल उर्फ झटका के संबंध में क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई गई. इस दौरान आरोपी के परिजनों और आसपास के लोगों को आदेश की जानकारी दी गई. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संबंधित बदमाश का इंदौर नगरीय एवं देहात क्षेत्र के साथ ही जिले के नजदीकी जिलों देवास, धार, खरगोन और उज्जैन जिलों की सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है. यदि वह कहीं भी दिखाई दे, तो तत्काल पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए हैं.

एनडीपीएस एक्ट के दो आरोपियों को जेल भेजा

इंदौर. पुलिस ने खजराना थाना क्षेत्र के और रावजी बाजार थाना क्षेत्र के आरोपियों को अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त पाए जाने पर पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भोपाल भेज दिया. कार्रवाई शहर में युवाओं को नशे के कब्जे से बचाने और अवैध ड्रग कारोबार पर अंकुश लगाने के निर्देश के तहत की गई. एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर शहर में नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी है. जोन 2 और जोन 4 पुलिस ने दोनों आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया. खजराना थाना क्षेत्र के ममता कॉलोनी निवासी सैयद रेहान लंबे समय से अवैध मादक पदार्थ की खरीदी-बिक्री में सक्रिय था. पुलिस ने उसके खिलाफ पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण तैयार किया कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे छह माह के लिए भोपाल जेल भेज दिया. इसी तरह, रावजी बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले सचिन आर्य को भी मादक पदार्थों के तस्करी में संलिप्त पाए जाने पर पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत छह माह के लिए केंद्रीय जेल भोपाल में भेजने के आदेश जारी किए.

फ्लैट का ताला तोड़कर किए लाखों के जेवर चोरी

इंदौर. कनाड़िया क्षेत्र के सूने फ्लैट का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों के सोने चांदी के जेवर चोरी करने का मामला सामने आया है. थाना प्रभारी सहर्ष यादव ने बताया कि बिचौली मर्दाना स्थित अपार्टमेंट में रहने वाले तन्मय कानूनगो के फ्लैट को निशाना बनाया. दिन में घर बंद होने का फायदा उठाकर बदमाश अंदर घुसा और करीब एक लाख से ज्यादा कीमत के सोने के जेवर चोरी कर ले गया. चोरी गए सामान में सोने की चूड़ियां, अंगूठियां, मंगलसूत्र, चेन, ब्रेसलेट सहित अन्य आभूषण शामिल हैं. घटना का पता चलने पर पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के कैमरों की जांच शुरू कर दी है.

तीन माह में 18 मामलों में 30 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा

आरोपियों में पांच महिलाएं भी हैं शामिल

इंदौर. शहर में ड्रग्स का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. क्राइम ब्रांच ने जनवरी से मार्च तक तीन माह में 18 मामलों में 30 तस्करों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में पांच महिलाएं भी शामिल हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहर में गांजा, सिंथेटिक ड्रग्स, अल्प्राजीलम की गोलियां, ब्राउन शुगर, एमडी और चरस सहित हर तरह की नशीली वस्तुएं पहुंच रही हैं. पुलिस जांच में सामने आया है कि सबसे अधिक गांजा आसपास के जिलों धार, खरगोन, खंडवा, देवास और उज्जैन से आता है, जबकि ब्राउन शुगर और एमडी राजस्थान बार्डर से शहर में पहुंच रही है. पिछले साल क्राइम ब्रांच ने 100 से अधिक तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की थी.

महिलाएं भी जुड़ रहीं ड्रग्स की तस्करी में...

इस साल के तीन माह में अकेले क्राइम ब्रांच ने ही 18 केस में 30 तस्करों को पकड़ा है. इसके अलावा शहर के अलग-अलग थानों ने भी 20 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें कनाड़िया और राऊ थाने की कार्रवाई में चार महिलाएं शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि महिलाएं भी अब ड्रग्स के अवैध कारोबार में सक्रिय हो रही हैं. शहर में हर थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार फैल चुका है, लगातार कार्रवाई के बावजूद इस पर रोक नहीं लग पा रही है.

युवती ने फांसी लगाकर दी जान

इंदौर. खजराना थाना क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी में 19 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. थाना प्रभारी मनोज सेंधव ने बताया कि मृतका की पहचान डॉली पिता रखालदास निवासी बंगाली कॉलोनी के रूप में हुई है. उसने घर के कमरे में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली. परिजनों ने जब उसे फंदे पर लटका देखा तो तत्काल नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जेईई की तैयारी कर रहे छात्र ने फांसी लगाकर दी जान

इंदौर. स्कीम नंबर 78 में रहने वाले एक 18 वर्षीय छात्र ने शुक्रवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. छात्र जेईई की तैयारी कर रहा था. वह जिस कमरे में पढ़ाई करता था, वहां लगे बोर्ड पर सॉरी लिखा हुआ है.

लसूड़िया थाना प्रभारी तारेश सोनी ने बताया कि मृतक तन्मय यादव के माता पिता शिक्षित हैं. मां हेमलता सरकारी टीचर और पिता देवेंद्र यादव कंपनी में नौकरी करते हैं. बड़ा भाई पिछले तीन साल से विदेश में कार्यरत है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अत्यधिक पढ़ाई और जेईई की तैयारी का तनाव उसके आत्महत्या का कारण बन सकता है. घटना के बाद परिजन उसे प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत्यु की पुष्टि की. शव का पोस्टमार्टम एमवाय अस्पताल में कराया, मामले की जांच पुलिस कर रही है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि छात्र के मामा रविंद्र मंडलोई ने भी तन्मय को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह मानसिक दबाव से बाहर नहीं आ पाया.

रिटायर्ड अधिकारी फंसा विदेशी महिला के चक्कर में

67 साल के बुजुर्ग से फेसबुक दोस्त ने 10.43 लाख ठगे

नव भारत न्यूज

इंदौर. सोशल मीडिया के जरिये विदेशी महिला से दोस्ती करना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया. ओम विहार कॉलोनी में रहने वाले एक 67 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी ने फेसबुक पर डॉ. लिसा डेविस नाम की महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर दोस्ती कर ली. महिला खुद को स्कॉटलैंड की रहने वाली बताती थी, फेसबुक पर धीरे-धीरे बातचीत दोस्ती में बदल गई.

कुछ समय बाद महिला ने विदेश से रिटायर्ड अधिकारी अशोक कुमार को गिफ्ट भेजने की बात कही. इसके बाद पीड़ित को दिल्ली एयरपोर्ट के कथित कस्टम अधिकारियों के नाम से कॉल आने लगे. ठगों ने पार्सल में डॉलर होने का झांसा देकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लगातार पैसे मांगे और 10.43 लाख रुपए ठग लिए. जब लगातार रकम मांगी जाने लगी, तो अशोक कुमार ने यह बात अपने बेटे को बताई, फिर बेटे के साथ एरोड्रम पुलिस को शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जिन खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ, उन्हें ब्लॉक कर दिया है और आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है. मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, विदेश से गिफ्ट के नाम पर पैसे मांगने वालों, खुद को कस्टम अधिकारी बताने वालों और किसी भी तरह का लालच देने वालों की बातों में न आएं, ऐसे कॉल की तुरंत रिपोर्ट करें.

शराब कारोबारी और एमपी लीग की क्रिकेट टीम के मालिक पर केस दर्ज

- सूरज रजक पर अभिनेत्री की 300 करोड़ की जमीन पर धोखाधड़ी और कब्जे की कोशिश का है आरोप

इंदौर. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की एमपी लीग में पहली बार खेलने वाली मालवा स्टैलियंस टीम के मालिक और शराब कारोबारी सूरज रजक के खिलाफ लसूड़िया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर शहर के पॉश इलाके में स्थित 300 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को लेकर धोखाधड़ी और जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप है. यह कार्रवाई अभिनेत्री रेमन कक्कड़ की शिकायत और मुख्य सचिव के हस्तक्षेप के बाद हुई है.

अभिनेत्री रेमन कक्कड़ ने आरोप लगाया था कि शुरुआत में पुलिस उनकी शिकायत पर संज्ञान नहीं ले रही थी. इसके बाद मामला प्रदेश के मुख्य सचिव तक पहुंचा, जिनके निर्देश के बाद शुक्रवार देर रात लसूड़िया थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. शिकायत के अनुसार, निपानिया क्षेत्र के सर्वे नंबर 414 की लगभग दो हेक्टेयर जमीन रेमन कक्कड़ की माता नरेंद्र कौर सलूजा और उनके भाइयों पुष्पेंद्र और रणधीर सलूजा के नाम पर दर्ज है. पुलिस ने सूरज रजक के खिलाफ धारा 329(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.रेमन के भाई रणधीर सलूजा ने बताया कि यह जमीन उनके पिता ने 1964 में खरीदी थी. जमीन का कुछ हिस्सा 2010 में सड़क चौड़ीकरण के लिए आईडीए को दिया गया था. रणधीर के मुताबिक, वे उस समय दिल्ली में थे, जब उन्हें बहन रेमन के माध्यम से कब्जे की सूचना मिली. उन्होंने कहा कि सूरज रजक लगातार जमीन के लिए दबाव बना रहे थे और मना करने पर उन्होंने बाहुबल का प्रयोग कर कब्जा करने का प्रयास किया.

सूरज रजक ने पहले शराब दुकान के लिए किराए पर मांगी थी जमीन

पुलिस के अनुसार रेमन के पति ऋषि कक्कड़ से सूरज रजक ने शराब की दुकान खोलने के लिए 6000 वर्गफीट जमीन किराए पर मांगी थी. परिवार द्वारा इनकार किए जाने के बाद रजक ने परिवार के अन्य सदस्यों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन सभी ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया. जमीन मालिकों का आरोप है कि 3 अप्रैल को जब वे मौके पर पहुंचे, तो वहां कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे. सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस काम को रुकवाया था.

300 करोड़ रुपए है जमीन की कीमत

बताया जा रहा है कि सूरज रजक ने हाल ही में 150 करोड़ रुपए का शराब का ठेका लिया है और वे अपनी दुकान को मुख्य मार्ग पर लाना चाहते थे, ताकि बिक्री बढ़ सके. यह जमीन मुख्य सड़क पर स्थित होने के कारण काफी कीमती मानी जा रही है, जिसकी अनुमानित बाजार दर लगभग 300 करोड़ रुपए है. हालांकि, कानूनी तौर पर उस स्थान पर दुकान खोलना संभव नहीं था. यह पहली बार नहीं है, जब रजक विवादों में आए हैं. इससे पहले साल 2025 में कनाड़िया क्षेत्र में एक किसान के साथ मारपीट और हवाई फायरिंग के मामले में भी उनका नाम सामने आया था.

एक नजर में — 180 नो पार्किंग, 22 मोबाइल फोन पर बात करने और 21 रॉन्ग साइड वाहन चलाने के मामले दर्ज

व्यस्त मार्गों पर नियम उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई

इंदौर. शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए यातायात पुलिस ने 56 दुकान, राजवाड़ा, मालवा मिल, भंवरकुआं, एयरपोर्ट रोड सहित अन्य व्यस्त क्षेत्रों में विशेष पेट्रोलिंग और व्हील लॉक टीमों के माध्यम से अभियान चलाया.

अभियान के दौरान 180 नो पार्किंग उल्लंघन, 22 मोबाइल फोन पर बात करने वाले और 21 रॉन्ग साइड वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई. टीमों ने प्रमुख मार्गों और व्यस्त बाजारों में निरंतर भ्रमण कर अव्यवस्थित पार्किंग हटाई और यातायात प्रवाह सुगम बनाया. यह अभियान पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त प्रभारी यातायात

राजेश कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में चलाया गया. उन्होंने टीमों को प्रमुख बाजारों और व्यस्त मार्गों में व्हील लॉक और पेट्रोलिंग के माध्यम से लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

अभियान के दौरान अन्नपूर्णा रोड, बड़ा गणपति, मालवा मिल, भमोरी, 56 दुकान, जंजीरवाला, पलासिया, सराफा बाजार और गोराकुंड जैसे क्षेत्रों में सघन निरीक्षण किया. अभियान के परिणामस्वरूप जाम कम हुए, नियमों का पालन बढ़ा और नागरिकों तथा व्यापारियों में पार्किंग व्यवस्था के प्रति जागरूकता आई. पुलिस ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन पेट्रोलिंग एवं सख्त कार्रवाई की जाएगी.